1/2 ITC/155/14

संख्या–832/33–3–2015–100(21)/2014

प्रेषक,

आर०पी० सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज
उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद मे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय–व्ययक मे प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 5/586/2014–5/52/2015, दिनांक 31.12.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–20/3580/33–3–2014–100(21)/2014, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या–667/33–3–2015–100(21)/2014, दिनांक 09 मार्च, 2015 द्वारा अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में उक्त योजना के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख की धनराशि में से रू0 9985.65 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के प्रस्तर–14 में निम्न व्यवस्था की गयी हैः–

" (14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी। "

2– उक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के प्रस्तर–14 को निम्नवत संशोधित करते हुए अंकित किया जाता हैः–

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त करके ग्राम पंचायतों के खातों में सीधे उपलब्ध कराया जायेगा।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(929)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

निदेशक 26/3/15

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– समस्त मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ0प्र0।
5– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत लखनऊ।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग 2
7– वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग 2
8– गार्ड फाइल।

26-3-2015

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

(१८)